

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-460 / 09

संस्थापित दिनांक-05.10.2009

Filling no. 235103001352009

| |
|---|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन |
| विरुद्ध |
| 1- लाखन सिंह पुत्र जसराज सिंह यादव उम्र 49 साल निवासी- ग्राम पाडरी सहराई तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी |

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 18.08.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(क)(ख) एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 25.08.2009 को समय 14:35 बजे थाना चंदेरी क्षेत्र में जिलाधीश के आदेश क्र0 37/08 राज्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 16.04.09 के उल्लंघन में जिला बदर किये जाने के पश्चात आदेश के उल्लंघन में कस्बा पिपरई में लोक शांति भंग करने के आशय से पाए गये तथा लोकसेवक द्वारा विधि पूर्वक प्रख्यापित आदेश की विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा क्षति कारित करने के आशय से पाए गये।

02- अभियोजन कथा संक्षिप्त: इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2009 को पी.एस. चौहान थाना चंदेरी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना चंदेरी के अप0 क्र0 105/09 धारा 324, 323, 506 बी, 326 भा0द0वि0, एवं 3(2) एक्ट में आरोपी लाखन सिंह पुत्र जसराज सिंह यादव निवासी पाडरी सहराई की ग्राम पिपरई जिला अशोकनगर को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय अशोकनगर के आदेश क्र0 37/08 रा.सु.क. दिनांक 16.04.09 के द्वारा जिला अशोकनगर एवं उसके निकटवर्ती जिले गुना, शिवपुरी, सागर, विदिशा की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिये म0प्र0राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जिला बदर किया गया था। आरोपी लाखन सिंह ने आदेश की अवहेलना कर जिला अशोकनगर के कस्बा पिपरई में उपस्थित रहकर समाजिक शांति लोक व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना पाये जाने

पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपराध के संबंध में विधिवत कायमी की गई। अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष को प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त द्वारा कण्डिका क्रमांक 01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया गया है। अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के दौरान अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

04— न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—

| | |
|-----------|--|
| 1 | क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.08.2009 को समय 14:35 बजे थाना चंदेरी क्षेत्र में जिलाधीश के आदेश क्र० 37/08 राज्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 16.04.09 के उल्लंघन में जिला बदर किये जाने के पश्चात आदेश के उल्लंघन में करबा पिपरई में लोक शांति भंग करने के आशय से पाए गये ? |
| 2. | क्या घटना दिनांक समय स्थान पर लोकसेवक द्वारा विधि पूर्वक प्रख्यापित आदेश की विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा क्षति कारित करने के आशय से पाए गये ? |

विचारणीय प्रश्न क्र० 1:—

05— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध धारा 5(क)(ख) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत किसी प्रकार का आदेश जारी किया गया था। अभियोजन की ओर से रामसिंह अ०सा०01, परमाल सिंह चौहान अ०सा०02, और धरमलाल अ०सा०03 के कथन न्यायालय में कराये गये जिनमें से रामसिंह अ०सा०01 एवं धरमलाल अ०सा०03 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। न्यायालय के समक्ष मात्र परमाल सिंह चौहान अ०सा०02 की साक्ष्य है जिसका सुक्षमता से परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

06— परमाल सिंह चौहान अ०सा०02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 25.08.09 को थाना चंदेरी में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अ०क्र० 105/09 में गिरफ्तारशुदा आरोपी लाखन सिंह पुत्र जशराज सिंह यादव निवासी पाडरी सहराई के विरुद्ध उसके द्वारा थाना चंदेरी में अ०क्र० 264/09 की कायमी अन्तर्गत धारा 14 म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं धारा 188 भा०द०वि० की गई थी तथा आरोपी श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जिला बदर किया गया था। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा पारित जिला बदर

आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न की है जो प्र.पी.4 है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर के द्वारा किसी भी प्रकार का जिला बदर संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

07— प्रकरण में संलग्न प्र.पी.4 के दस्तावेज का अवलोकन करने से दर्शित है कि प्रकरण में जो प्र.पी. 4 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर के आदेश दिनांक 16.04.09 की छायाप्रति है जिसपर थाना प्रभारी चंदेरी द्वारा सत्यापन किया गया है तथा प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि या मूल प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति धारा 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार— हर लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसे लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है मांग किये जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिये विधिक फिस चुकाये जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र सहित देगा कि वह, यथा स्थिति, ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाएगा अर्थात् प्रकरण में संलग्न प्र.पी. 4 के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किये जाने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अशोकनगर को प्राप्त था। थाना प्रभारी के द्वारा उक्त आदेश की छायाप्रति को सत्यापित कर देने मात्र से वह छायाप्रति द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में या प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है तथा किसी भी दस्तावेज को मात्र प्रदर्श कर देने मात्र से ही वह दस्तावेज प्रमाणित नहीं मान लिया जाता है।

08— उक्त दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, इसके अलावा उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर के कार्यालय के किसी भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी के कथन भी नहीं कराए हैं और न ही जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर के जिला बदर संबंधी आदेश की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। परमाल सिंह चौहान अ0सा02 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि आरोपी लाखन को दिनांक 25.08.2009 को थाना चंदेरी से गिरफ्तार किया गया था जिसके संबंध में स्वयं आरोपी द्वारा अभियुक्त परीक्षण में उसको गिरफ्तार किये जाने को स्वीकार किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर के जिला बदर संबंधी आदेश पारित किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.08.2009 को समय 14:35 बजे थाना चंदेरी क्षेत्र में जिलाधीश के आदेश क्र0 37/08 राज्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 16.04.09 के उल्लंघन में जिला बदर किये जाने के पश्चात् आदेश के उल्लंघन में कस्बा पिपरई में लोक शांति भंग करने के आशय से पाए गये।

विचारणीय प्रश्न क्र० 2

09— दं.प्र.सं. की धारा 195 (1)(क) में इस आशय के आज्ञापक प्रावधान उपबंधित हैं कि संहिता की धारा 172 से 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के मामले में न्यायालय संज्ञान या तो उस लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही लेगा जिस लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा की गई है या जिस लोकसेवक के प्रति अपराध कारित किया गया है फिर उस लोक सेवक के प्रशासनिक तौर पर किसी वरिष्ठ लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही लेगा। यह प्रावधान आज्ञापक रूप में उपबंधित किए गए हैं और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिए जाने की न्यायालय की शक्ति पर स्पष्ट रूप से रोक लगाते हैं।

10— न्याय दृष्टांत **सी. मुनिअप्पन विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडू ए.आई.आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 3718** में इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 195 के प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं और इन प्रावधानों का अपालन अभियुक्त के अभियोजन को और सभी पारिणामिक आदेशों को दूषित कर देता है और ऐसे मामले में न्यायालय केवल लिखित परिवाद पर ही संज्ञान ले सकता है और ऐसे किसी लिखित परिवाद के अभाव में अभियुक्त का विचारण और उसकी दोषसिद्धी क्षेत्राधिकार रहित होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। वर्तमान प्रकरण पुलिस द्वारा अपराध की कायमी किये जाने के पश्चात प्रकरण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः धारा 188 के संबंध में लोकसेवक के लिखित परिवाद के अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धी किये जाने पर धारा 195 द०प्र०सं० की विधिक बाधा होना दर्शित है। अतः अभियुक्त को धारा 188 भा०द०सं० के संबंध में दोषी नहीं पाया जा सकता है।

11— अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.08.2009 को समय 14:35 बजे थाना चंदेरी क्षेत्र में जिलाधीश के आदेश क्र० 37/08 राज्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 16.04.09 के उल्लंघन में जिला बदर किये जाने के पश्चात आदेश के उल्लंघन में कस्बा पिपरई में लोक शांति भंग करने के आशय से पाए गये तथा लोकसेवक द्वारा विधि पूर्वक प्रख्यापित आदेश की विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा क्षति कारित करने के आशय से पाए गये। अतः अभियुक्त **लाखन पुत्र जसराज सिंह उम्र 49 साल** निवासी ग्राम पाडरी को राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(क)(ख) एवं भा०द०वि० की धारा 188 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।

13— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

14— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

// 5 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-460/09

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0